न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 220/2022

अनवान : –

1. श्रवण कुमार पुत्र बालूराम जाति गुरडा निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
2. शान्ति देवी पत्नि नौरगराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
3. चुन्नीराम पुत्र कनीराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. अमित कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
6. भजनलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
7. राजीव सर्वा पुत्र सुभाष सर्वा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
8. रिनू देवी पत्नि बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
10. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 117/107 के ख.न. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 182/4 के ख.न. 46/6 की 0.0480 हैक्टर भूमि ख.न. 46/7 की 0.0630 हैक्टर कुल 0.1110 हैक्टर भूमि के गैरसायल सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 178/169 के ख.न. 46/4 की 0.2050 हैक्टर भूमि गैरसायल सं. 2 खातेदार काश्तकार है। एवं कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 47/41 के ख.न. 293/46 की 0.6110 हैक्टर भूमि का गैरसायल सं. 3 खातेदार काश्तकार है। एवं कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 10/12 के ख.न. 46/1 की 0.0180 हैक्टर भूमि का गैरसायल सं. 4 खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 3/133 के ख.न. 296/46 की 1.2230 हैक्टर भूमि का गैरसायल सं. 5 अकेला 407/2446 हिस्सा, गैरसायल सं. 6 अकेला 310/1223 हिस्सा, गैरसायल सं. 7 अकेला 306/1223 हिस्सा, गैरसायल सं. 8 अकेली 407/2446 हिस्सा, भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 117/107 के ख.न. 292/46 की0.4420 हैक्टर भूमि में काबिज है तथा वर्तमान में वादगस्त भूमि शहर के नजदीक होने के

Rahul
नोहर

कारण गैरसायलान प्लाट काट रहे है तथा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण की ख.न. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि पर काबिज होना चाह रहे है तथा अपनी कृषि भूमि दिखाकर प्लाट काटने की फिराक में काबिज होना चाहते है एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि की जब तक पैमाईश ना हो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 के कब्जा में काबिज न हो जाये तब तक गैरसायलान मदाखलत बेजा न करे। उक्त भूमि शहर के चिपती हुई भूमि है तथा सायल के द्वारा तहसीलदार को पैमाईश हेतु काफी प्रार्थना पत्र पेश किये थे परन्तु सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 के नाम दर्ज भूमि की पैमाईश करके कब्जा एवं कृषि भूमि नहीं बतलाई जा रही है। तथा गैरसायलान सं. 1 ता 8 अपनी खतोदारी भूमि सेअधिक भूमि पर काबिज है तथा सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते है इसलिए सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 की भूमि सुरक्षित रखी जावे तथा गैरसायलान सं. 1 ता 8 को सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 गैरसायलान के खिलाफ इस आशयों की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि का रहन/वैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के ख.न. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि में कब्ज करने से निषिद्ध रहे। जब तक पैमाईश न हो जाये तब तक ख.न. 46/6 व 46/78 व 46/4, 292/46 की भूमि प्लाट आदि काट कर गैरसायलान रहन/वैय करने से निषिद्ध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा संख्या 292/46 की 0.4420 हैक् एव खसरा संख्या 46/6 46/78,46/4,292/46 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि की पैमाईश होने तक सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना कृषि भूमि को अकृषि उपयोग न लेवे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि [illegible]या मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति कि[illegible] अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि शहर के चिपती भूमि है एवं अप्रार्थीगण द्वारा बिना पैमाईश करवाये प्लॉट आदि काटकर बेचान किया जा रहा है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कब्जा काश्त की भूमि में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण द्वारा प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.09.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:15:34 IST
Reason: SelfAttested